# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 191/2015

अणदी पुत्री शिवलाल उर्फ श्योलाल जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. अनिरूद्ध उर्फ प्रहलाल पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील एवं उप पंजीयक सादुलशहर ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर 17.01.2014

उपस्थिति:—

श्री मनोहरलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री मनोहरलाल सहारण, अभिभाषक संख्या 1

श्री हरीश सोनी अभिभाषक रेस्पो संख्या 2 से 7

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने एक वाद उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 8 एलएलजी के मु.न. 32 के 1.265 है. में से कि.न. 1,10,11,20,21 की कुल 4.01 बीघा में से किसी आराजी को रहन बैय तथा अन्य किसी तरीके से मुन्तकिल नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे । अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना

4/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी ने प्रार्थी के हिस्सा ठेका पर दे रखी है गत वर्ष ठेका राशि नहीं करने पर अप्रार्थी ने ठेका राशि की मांग की तो प्रार्थी ने अधी.न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा प्रार्थी को मु.न. 32 की 1.265 है. भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे एवं कब्जा दिलवाने तक उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । अप्रार्थी के जबाव प्रार्थना का जबाव प्रार्थी ने पेश कर जबाव में उठाये बिन्दुओ को खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 17.01.2014 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अप्रार्थी सं.1 ने उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि मु.न. 32 के कि. न.1,10,11,20,21 की 4.01 बीघा भूमि अपीलार्थी की खातेदारी है जबकि तथाकथित बैयनामा दिनांक 04.09.1959 का खसरा नं. 521 है। अपीलार्थी के पिता ने कोई बैयनामा नहं करवाया । अपीलार्थी आदेश के द्वारा वाद के निर्णय तक मौका की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश दिये गये है जबकि यथास्थिति का कोई आदेश नहीं होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी विवादित भूमि की अभिलिखित खातेदार है । बैयनामा वर्ष 1959 का है जिसका रेकार्ड में असल दरामद क्यों नहीं हुआ जिसका वाद में साक्ष्य के पश्चात ही होनी है। अपीलार्थी ने रिसीवर नियुक्ति आदेश के विरूद्ध अपील पेश की थी जिसका निस्तारण दिनांक 24.08.2015 को किया गया जिसके विरूद्ध निगरानी पेश करने पर ज्ञात हुआ है कि एक ही आदेश के विरूद्ध अपील पेश हुई है नये अधिवक्ता की कानूनी सलाह पर यह अपील पेश की है जिसकी देरी के लिए मियाद अधिनियम की धारा 5/14 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते

4/6/18

हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं नकद प्रतिभूति पर कब्जा रेस्पो. के पास रहने दिया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध अपील पेश की जो दिनांक 24.08.2015 को खारिज हो चुकी है । इसलिए पुनः यह अपील नहीं चल सकती । रेस्पो. द्वारा यह अपील जरिये बैयनामा कय की है सद्भावी क्रेता है, बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं होने का अनुचित लाभ उठाकर अपीलांट विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाकर भूमि को आगे रहन बैय करने की फिराक में है। अधी.न्यायालय ने रेस्पो. का धारा 212 रा.का.अ. की प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में एवं अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध दिनांक 28.08.2015 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5/14 का पेश कर जो तथ्य अंकित किये है जिसका जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र रेस्पो. ने पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खंडन किया है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित भूमि की मौका की स्थिति यथावत रखने की निषेधाज्ञा जारी की है तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र कि विवादित भूमि रिसीवरी में ली जावे खारिज किया है । अपीलांट विवादित आराजी जो शिवलाल के नाम दर्ज है की वारिस होकर खातेदार काश्तकार है । अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध पेश

4/6/18

की है। इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने पूर्व में इस न्यायालय में अपील पेश करने पर उक्त अपील संख्या 38/2014 अणची बनाम अनिरूद्ध दिनांक 24.08.2015 को निर्णित होकर अपील खारिज हो चुकी है जिसमें अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब पूर्व में अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी जा चुकी है एवं पुनः उसी आदेश के विरूद्ध अपील पेश होने पर रेस्जुडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/6/18

(प्रेमाराम पंसारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर